डीन ने दिया शपथपत्र, कोर्ट ने मांगी नई रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सोमवार को सिम्स की अव्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सिम्स डीन ने शपथपत्र पेश किया और छात्रों की भोजन व्यवस्था पर स्पष्टीकरण दिया।

डीन ने बताया कि, मेडिकल छात्रों के लिए हास्टल में मैस की सुविधा उपलब्ध है। कई जूनियर डाक्टर फिर भी बाहर से भोजन मंगाते हैं। पहले डिलीवरी ब्वाय हास्टल के सामने जमीन पर पैकेट रख जाते थे, जिससे गंदगी और अव्यवस्था की स्थिति बनती थी। अब छात्रों को निर्देशित किया गया है कि यदि वे बाहर से कुछ मंगाते हैं तो गार्ड रूम या विजिटर्स रूम में रखवाएं और वहीं से भोजन लें।

18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने कहा कि सिम्स में व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश अच्छी है, लेकिन अभी भी निरंतर मानिटरिंग जरूरी है। चीफ जस्टिस ने डीन को नया शपथपत्र दाखिल कर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि सिम्स में सुधार कार्यों की प्रगति पर उसकी कड़ी निगरानी जारी रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर 2025 को होगी।